



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-13.08.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-594/2014 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम सुंदर उर्फ कल्लू चौहान पुत्र स्व0 घनश्याम चौहान निवासी 59/1119 नई बस्ती थाना कैंट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-12.08.2024 को माननीय न्यायालय A/C मेन/UPSEB जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त श्याम सुंदर उपरोक्त को अंतर्गत धारा 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 05 वर्ष के कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।